International Journal for Multidisciplinary Research
Plagiarism & Intellectual Property Rights in Digital Age (PIPRDA-2023)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

बौद्धिक संपदा के संरक्षण हेतु किए गए सरकार के प्रयास-

डॉ वंदना शर्मा

प्रभारी प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय बड़ौद, आगर मालवा।

सरकार ने बौद्धिक संपदा के संरक्षण हेतु कई अधिनियम बनाकर उनकी सुरक्षा का विशेष प्रबंध किया है। हम उन विभिन्न अधिनियमों को जानने से पहले बौद्धिक संपदा के अर्थ को जानेंगे।

बौद्धिक संपदा का अधिकार एक निजी अधिकार है जिस पर केवल उसके निर्माणकर्ता का ही अधिकार होता है। यह किसी देश की निश्चित सीमा के भीतर ही मान्य होते हैं। यह औद्योगिक, वैज्ञानिक, साहित्य और कला के क्षेत्र में रचनात्मक या किसी नव प्रयोग के संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है। अर्थात मनुष्य को उनके बौद्धिक सृजन के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किए जाने वाले अधिकारों को ही बौद्धिक संपदा का अधिकार कहते हैं। सामान्यतः यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई भी बौद्धिक सृजन, जैसे कि कोई शोध नवीन आविष्कार या कोई साहित्यिक रचना करता है तब सर्वप्रथम उस सामग्री पर उसी व्यक्ति का अनन्य क्षेत्राधिकार होना चाहिए और यह क्षेत्राधिकार उसे प्रदान करने वाली संज्ञा को ही बौद्धिक संपदा का अधिकार कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति को बौद्धिक संपदा का अधिकार प्रदान किया जाता है तब उसका अर्थ यह कदापि नहीं निकाला जाना चाहिए कि अमुक बौद्धिक सृजन पर केवल उसके सृजन कर्ता का ही सदा सदा के लिए अधिकार हो जाएगा। यहां पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि बौद्धिक संपदा का अधिकार एक निश्चित समय अवधि और एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र को ध्यान में रखकर दिया जाता है इसका मूल उद्देश्य मानवीय बौद्धिक सृजनशीलता को प्रोत्साहन देना है साथ ही, उस व्यक्ति की मौलिक कृति या रचना को संरक्षण प्रदान करना है।

बौद्धिक संपदा एक ऐसा अधिकार है, जिससे एक व्यक्ति जो अपने सघन प्रयासों के उपरांत किसी नए आविष्कार या अपनी कोई मौलिक रचना या कोई शोध ग्रंथ जिसका निर्माण या सृजन करता है तब वास्तव में उस आविष्कार पर उसका ही अधिकार होना चाहिए एवं उसी व्यक्ति को उसका मूल्य भी मिलना चाहिए। परंतु वर्तमान में यह देखने में आया है कि एक व्यक्ति की वास्तविक उपलब्धियों को दूसरे व्यक्ति ने गलत तरीके से अपने नाम से जोड़कर प्रस्तुत कर दिया है जिससे उस वस्तु के मूल निर्माता को नुकसान उठाना पड़ता है या उसके ज्ञान का, उसके परिश्रम का उसे सही पारिश्रमिक और श्रेय नहीं मिल पाता है। तब बौद्धिक संपदा का अधिकार मूलतः इसी प्रकार की अनियमितताओं पर नियंत्रण लगाने तथा उसके वास्तविक हकदार को उसका अधिकार प्रदान करने का नाम है। सरकार द्वारा समय-समय पर कई अधिनियमों का निर्माण किया गया जिससे कि व्यक्ति के बौद्धिक संपदा अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया जा सके। किंतु फिर भी बौद्धिक संपदा के संबंध में भारत में जन जागरूकता कम ही देखने को मिलती है। बौद्धिक संपदा के अधिकारों को सुरक्षित करना सरकार के लिए परम आवश्यक है ताकि अधिकृत व्यक्ति को उसके अधिकार तथा वृहद लोकहित के मध्य संतुलन बना रहे और देश में एक मजबूत और प्रभावशाली बौद्धिक संपदा अधिकारों के तहत कार्यप्रणाली सुचारू रूप से चल सके। इसलिए वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों के बाद भारत में भी बौद्धिक संपदा के लिए जन जागरूकता फैलाने तथा अधिकृत व्यक्ति को उसके अधिकार प्रदान करने के लिए निम्न कानूनों का निर्माण किया।

* कॉपीराइट अधिनियम 1957 - कॉपीराइट कानून का निर्माण लेखकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है। कॉपीराइट का अर्थ होता है कॉपी + राइट अर्थात प्रतियां बनाने का अधिकार। किसी भी मौलिक रचना की प्रतियां बनाने तथा उसे प्रकाशित करने के अधिकार को कॉपीराइट कहते हैं। यह अधिकार पुस्तकों, फिल्मों, गानो तथा ट्रेडमार्क के संबंध में प्रदान किया जाता है। उपरोक्त प्रकाशित सामग्री के संबंध में यह लेखक के जीवन काल तथा उसकी मृत्यु के 50 वर्ष बाद तक बना रहता है। इस एक्ट के लागू होने के लिए आवश्यक है कि कोई भी रचना दोष रहित, मौलिक एवं मूल्यवान होनी चाहिए। इस कानून के निर्माण के बाद रचनाकार केनिजी विचारों का किसी भी प्रकार से आर्थिक लाभ या अन्य कोई लाभ, चोरी के द्वारा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं ले सकता अर्थात कॉपीराइट कानून लेखक की पूर्व अनुमति के बिना किसी अन्य को उसके उपयोग करने से रोकता है। इसे एक संपत्ति माना गया है। और यह एक ऐसी संपत्ति है जो मौलिक रचनाकार को उसके अधिकार प्रदान कर उसकी बौद्धिक संपदा को सुरक्षा प्रदान करती है।

* पेटेंट अधिनियम 1970 - भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1911 में बनाया गया था तत्पश्चात इसे पुनः स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, वर्ष 1970 में पेटेंट अधिनियम 1970, भारत में पेटेंट व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया। इसमें कई बार परिस्थितियों के अनुसार संशोधन भी किए गए ताकि बदलती दुनिया में इसकी प्रासंगिकता बनी रहे। पेटेंट एक ऐसा अनन्य अधिकार है जो सरकार एक विशिष्ट समय अवधि के लिए नवाचार के उपयोग के लिए देती है, भारत में पेटेंट वैधता की समय अवधि 20 वर्ष है। पैटर्न का अधिकार तभी प्रदान किया जा सकता है जब कोई आविष्कार

नया हो एवं औद्योगिक अनुप्रयोग में सक्षम हो। इस प्रकार पेटेंट अधिनियम का निर्माण कर सरकार ने बौद्धिक संपदा के अधिकार को सुरक्षा प्रदान की है।

* ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 - ट्रेडमार्क ऐसा वैधानिक कानून है जो सभी मार्क, प्रतीक, लोगो अथवा ब्रांड जो अलग है और अन्य वस्तुओं और सेवाओं से खुद को पृथक करते हैं, उन्हें ट्रेडमार्क के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के तहत किसी भी पंजीकृत ट्रेडमार्क के स्वामी को विशेष अधिकार प्रदान करता है। ट्रेडमार्क पंजीकरण के बाद ऐसे निर्माण पर उसका स्वामित्व प्रथम दृष्टया हो जाता है। कोई भी पंजीकृत वस्तु का स्वामी उस मार्क का उपयोग विशेष रुप से उन वस्तुओं के वर्ग के तहत करता है जिनके तहत उसका पंजीकृत किया गया है। एक पंजीकृत ट्रेडमार्क की वैधता 10 वर्षों तक बनी रहती है इसके पश्चात ट्रेडमार्क को नवीनीकृत करना पड़ता है। यह ट्रेडमार्क के स्वामी को अनन्य अधिकार प्रदान करता है। इससे कोई अन्य पक्ष उस पंजीकृत ट्रेडमार्क का अवैध रूप से उपयोग नहीं कर सकता और यदि कोई उपयोग करता है तो वह इस अधिनियम के अधीन उल्लंघन की श्रेणी में आता है और पंजीकृत ट्रेडमार्क का मालिक उस पर सिविल या आपराधिक मुकदमा दर्ज कर सकता है। इससे बौद्धिक संपदा की चोरी होने की संभावना कम हो जाती है एवं मौलिक रचनाकार को उसका श्रेय, मौलिकता के साथ मिलता है।

* वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 - यह अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि जिस प्रचलित उत्पाद के नाम से किसी व्यक्ति ने किसी वस्तु को पंजीकृत किया है उसका उपयोग कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता। यह अधिनियम भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतकों को पंजीकरण एवं बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। यह विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों का भी हिस्सा है। इसकी वैधता की अवधि 10 वर्ष है तथा इसे अगले 10 वर्षों के लिए नवीनीकरण किया जा सकता है। यदि किसी निर्माता के सामान या किसी उत्पाद को यह अधिनियम भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्रदान कर देता है तब कोई अन्य इसके नाम का दुरुपयोग नहीं कर सकता अर्थात यह किसी उत्पाद के अनधिकृत उपयोग को रोकता है तथा यह उस वस्तु के उपयोग कर्ता को भी उस उत्पाद की प्रमाणिकता के बारे में सुविधा प्रदान करता है। इस प्रकार यह अधिनियम बौद्धिक संपदा के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है।

* डिजाइन अधिनियम 2000 - यह अधिनियम सभी प्रकार की औद्योगिक डिजाइन को सुरक्षा प्रदान करता है। यह अधिनियम किसी वस्तु पर, किसी भी डिजाइन की रक्षा करता है। डिजाइन का अर्थ किसी आकार, विन्यास, पैटर्न, आभूषण, रंगो या रेखाओं की संरचना से जो किसी भी औद्योगिक प्रक्रिया द्वारा किसी भी आयाम के रूप में लागू की जाती है। किसी डिजाइन का कोई लेखक जो अपने कलात्मक कार्य को संदर्भित करता है और उसमें सजावटी और दृश्य मूल्य को बढ़ाने के लिए अपनी क्षमता का प्रयोग करता है, उसके लिए यह परम आवश्यक है कि उसकी मौलिक रचना को संरक्षण प्रदान किया जाये, इसके लिए उसे अपने डिजाइन का पंजीकरण करवाना चाहिए। इस अधिनियम में पंजीकरण के लिए यह आवश्यक है कि वह डिजाइन एक अद्वितीय आकार, विन्यास, पैटर्न या आभूषण होना चाहिए। डिजाइन एक नई या एक मूल डिजाइन होनी चाहिए, इसे अन्य कहीं भी प्रकट नहीं किया गया हो तथा इसकी कोई भी सामग्री अश्लील या निंदनीय नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार यह डिजाइन अधिनियम 2000 मनुष्य की बौद्धिक संपदा को सुरक्षा प्रदान करता है।

* पैटेंट संशोधन अधिनियम 2005 - पेटेंट बौद्धिक संपदा के संरक्षण का एक रूप है यह मानव द्वारा किए गए किसी आविष्कार का एक विशेष अधिकार है जो किसी उत्पाद के निर्माण के समान है। यह सामान्यतः कुछ नया करने का एक तरीका है या किसी भी समस्या का एक नया तकनीकी समाधान है। पेटेंट संशोधन अधिनियम के द्वारा 2005 किसी खाद्य पदार्थ, दवाओं तथा रसायनों के सभी क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। इसमें विशेषकर दवाइयों को सम्मिलित किया गया तथा संशोधन के बाद इसमें विशिष्ट विपणन अधिकारों से संबंधित प्रावधानों को निरस्त किया गया। पेटेंट 20 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। यदि पैटर्न किसी विशेष प्रक्रिया के लिए, किसी विशेष को प्रदान किया गया है तो पेटेंटधारी के पास उस प्रक्रिया के द्वारा निर्मित उत्पाद को सीधे उपयोग करने, बिक्री करने, आयात या निर्यात करने से किसी अन्य व्यक्ति को उसका प्रयोग करने से रोकने का अधिकार है। इस प्रकार या अधिनियम पेटेंट लेने वाले की बौद्धिक संपदा को सुरक्षा प्रदान करता है।

* राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016 - भारत सरकार ने 12 मई 2016 को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को मंजूरी दी। इस अधिकार नीति के तहत भारत में बौद्धिक संपदा को संरक्षण एवं प्रोत्साहन दिया गया। इसका आवाहन है कि "रचनात्मक भारत; अभिनव भारत"। बौद्धिक संपदा का अधिकार व्यक्तियों को उनकी बौद्धिक रचना पर दिए गए अधिकार है इनमें आविष्कार, कलात्मक कार्य, साहित्यिक तथा वाणिज्य आदि में उपयोग किए जाने वाले प्रतीक, नाम तथा चित्र शामिल है। यह ऐसे अधिकार है जो निर्माता को एक निश्चित अवधि के लिए

उसकी रचना के उपयोग पर एक विशेष प्रकार का अधिकार प्रदान करते हैं। वर्ष 2016 की राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति में सात लक्ष्य निर्धारित किए गए, जो इस प्रकार हैं।

1. बौद्धिक संपदा अधिकार जागरूकता - समाज के सभी वर्गों में बौद्धिक संपदा के अधिकार हेतु आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाभ के प्रति जागरूकता पैदा करना।
2. बौद्धिक संपदा अधिकारों का सृजन - भारत में बौद्धिक संपदा के अधिकारों का सृजन किया जाए एवं उनका संरक्षण किया जाए।
3. प्रशासन एवं प्रबंधन - बौद्धिक संपदा अधिकार को इस प्रकार से प्रशासित किया जाए कि वह आधुनिक परिस्थितियों पर खरा उतरे एवं जनसाधारण को प्रबंधन के साथ मौलिक रचना के अधिकार प्राप्त हो सके।
4. प्रवर्तन एवं न्यायाधिकरण - यदि बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन होता है तो एक मजबूत न्यायिक प्रणाली समाज को प्रदान करना।
5. वैधानिक और विधायी ढांचा - प्रभावशाली एवं मजबूत बौद्धिक संपदा के अधिकार एवं नियमों को अपनाना जिससे कि अधिकृत व्यक्तियों तथा लोकहित के बीच संतुलन बनाया जा सके।
6. मानव संसाधन विकास - मानव संसाधनों को प्रशिक्षण देकर तथा शिक्षण संस्थानों मैं अनुसंधान की क्षमता को मजबूत बनाकर बौद्धिक संपदा अधिकारों में कौशल निर्माण किया जा सकता है।
7. बौद्धिक संपदा अधिकारों का व्यवसायीकरण - व्यवसायीकरण के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों के मूल्य को निर्धारित किया जा सकता है।

* पेटेंट संशोधन नियम 2021 - पेटेंट अधिनियम में वर्ष 2021 में संशोधन किया गया, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों के लिए पैटेंट शुल्क में कमी के नियम बनाए गए। देश में नवाचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शिक्षा संस्थानों की और अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए यह संशोधन किया गया। यह विभिन्न शोध गतिविधियों में संलग्न शैक्षणिक संस्थाएं जहां प्रोफेसर एवं शिक्षक कोई नई प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए कार्य करते हैं। उन्हें व्यवसायीकरण की सुविधा प्राप्त होती है वहीं उन्हें पैटेंट की आवश्यकता होती है, तब ऐसी परिस्थिति में उन्हें लाभ पहुंचाकर उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाना इस अधिनियम का उद्देश्य है। इस प्रकार यह संशोधन बौद्धिक संपदा के अधिकारों में नवाचार लाने एवं उनका संरक्षण करने में सहयोग प्रदान करता है।

निष्कर्ष

हमारे देश में भारतीय जनता के कल्याण हेतु अधिकारों की विभिन्न प्रकृति के संरक्षण को नियंत्रित करने वाले विशेष विधानों में एक है बौद्धिक संपदा का अधिकार। इस अधिकार के जरिए बौद्धिक सृजनशील व्यक्ति को उसके अधिकार प्रदान किए गए हैं। यदि वे जागरूक है तब इन अधिकारों का प्रयोग वास्तविक ढंग से कर सकते है। किंतु प्रायः हमारे यहां जन जागरूकता की कमी है इसलिए सरकार को इन अधिकारों की मजबूती के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे। भारत को अपने समग्र बौद्धिक संपदा के ढांचे में परिवर्तनकारी बदलाव लाने हेतु अभी और काम करने की आवश्यकता है और केवल इतना ही नहीं एक मजबूत बौद्धिक संपदा को लगातार बनाए रखने के लिए गंभीर कदम भी उठाए जाने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक औद्योगिक विकास की संस्था के द्वारा यह कहा गया है कि जहां पर आर्थिक विकास तेजी से हो रहा है वहां पर बौद्धिक संपदा का अधिकार सुव्यवस्थित ढंग से कार्य कर रहा है। अतः हमें बौद्धिक संपदा के अधिकार में सुधार की परम आवश्यकता है ताकि हम विकास की दौड़ में शामिल हो सके। वर्तमान में भारतीय बौद्धिक संपदा अधिकार में कई कमियां हमें देखने को मिलती है इस पर कई विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की व्यापार में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाने का कारण उसके बौद्धिक संपदा अधिकार की व्यवस्था में कमी होना है। भारत में पेटेंट करवाने की प्रक्रिया जटिल है, इसमें लंबा समय लगता है। जिससे पेटेंट कार्यालयों के पास शोध से जुड़ी सूचनाएं कम पहुंच पाती है। साथ ही शोध को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र को आकर्षित करना भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है क्योंकि सरकार के पास इतने अधिक कार्य है कि वह किसी एक कार्य पर अपना फोकस नहीं कर पाती एवं उस क्षेत्र को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। बौद्धिक संपदा के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और सरकार ने अपने प्रयासों के द्वारा बौद्धिक संपदा को काफी हद तक संरक्षण प्रदान भी किया है, किंतु इसे और अधिक सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि जनता या किसी उत्पाद का सृजनशील व्यक्ति इसके प्रति जागरूक रहे तथा अन्य व्यक्तियों को भी इस अधिकार के प्रति जागरूक होने में सहयोग प्रदान करे

संदर्भ -

1. https://dplit.gov.in
2. https://hi.m.wikipedia.org
3. https://www.nou.ac.in
4. https://www.advancedjournal

5. https://www.ncbi.nim.nih.gov
6. https://www.drishtiias.com